न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०ऐक्ट), आजमगढ़।

जमानत प्रार्थना पत्र सं० –२५५/२०१९

१–पिण्टू सेठ उर्फ चन्दन वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा साकिन मुहल्ला बदरका, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

-----अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ------------------ विपक्षी।

स्पेशल केस नं०–२१९/२०१९

अ० सं० ३५५/२०१८

धारा– १३५ विद्युत अधि०

थाना– कोतवाली, जिला आजमगढ़ ।

दिनांक ११.१२.२०१९ई०

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त पिण्टू सेठ उर्फ चन्दन वर्मा की तरफ से उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,जो न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप कथानक इस प्रकार है कि दिनांक १५.१२.२०१८ को समय ११.३० बजे से १७.०० बजे के मध्य, बहद स्थान ग्राम बदरका पुलिस चौकी के पास थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ में वादी निरीक्षक अबरार अहमद व मनोज कुमार सिंह अवर अभियन्ता मय हमराही चेकिंग के दौरान अभियुक्त पिण्टू सेठ उर्फ चन्दन वर्मा पुत्र महेन्द्र वर्मा को एल०टी० लाईन से कटिया केबिल द्वारा एक किलोवाट विद्युत चोरी करते पाया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। परेशान करने की नियत से झूठा नामजद किया गया है। अभियुक्त द्वारा विद्युत की चोरी नहीं की गयी है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी की गयी है। अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण बकाया विद्युत बिल जमा कर दिया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाय।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया ।

अभियुक्त पिण्टू सेठ उर्फ चन्दन वर्मा पर विद्युत चोरी करने का अभियोग लगाया गया है। अपराध शमनीय है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितयों में अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त पिण्टू सेठ उर्फ चन्दन वर्मा की तरफ से मुब० २०,०००/– रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

(ध्रुव राय)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(ई०सी०ऐक्ट), आजमगढ़।